राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2022 अपील

1. मोहन लाल सुथार उचित मूल्य दुकानदार सेन्टर हंसेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा	बनाम	जिला रसद अधिकारी भीलवाडा
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत नियम 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ

उपस्थित –

1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विभागीय पैरोकार – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत नियम 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ विरूद्व जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेश संख्या /रसद/अभियोजन 2022/254 दिनांक 12.04.2022 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी हंसेडा क्षेत्र के लिए खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु वितरण हेतु अधिकृत डीलर होकर प्राधिकार संख्या 643/2001 जारी किया हुआ था। दिनांक 12.04.2022 को प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलार्थी के वितरण केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिस पर उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें 197 किलो चीनी व 300 एम. एल. (0.300 एम.एल.) कम पाया जाना बताया और शंकर लाल बलाई का गेंहू को मिश्रीलाल गुर्जर के परिवार को गलत दिया जाना, दुकार के बाहर स्टॉक, मूल्यसूची का प्रदर्शन नहीं होना आदि खामियां बतायी गयी। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उक्त खामियां अंकित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आदेश 1976 की शर्त संख्या 02, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 17–सी एवं 18 का उल्लघंन होना उल्लेखित करते हुये स्पष्टीकरण तलब किया गया। उक्त नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी ने लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णित

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के सिविल राईट्स को प्रभावित कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व है कि वह प्रश्नगत आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को सम्यक सुनवायी का अवसर प्रदान करता तदुपरान्त प्राधिकार को निलम्बन करने अथवा न करने के संबंध में ही निर्णय किया जाना था। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा जारी आदेश संख्या /रसद/ अभियोजन 2022/254 दिनांक 12.04.2022 को अपास्त किया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त राज. फूड ग्रेन्स एण्ड अदर ऐसेशियल आर्टीकल आदेश 1976 पेश किया।

विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने पर चीनी एवं केरोसीन तेल कम पाये गये। डीलर ने जांच के दौरान प्राधिकार पत्र, नक्शा दुकान/गोदाम, स्टॉक रजिस्टर पेश नहीं किये। दुकान के बाहर स्टॉक मूल्य सूची का नियमानुसार प्रदर्शन नहीं किया गया। डीलर ने शंकरलाल बलाई के राशनकार्ड के दुरूपयोग में मिश्रीलाल गुर्जर के परिवार की मदद की। इस प्रकार अपीलार्थी मोहनलाल सुथार ने प्राधिकार पत्र संख्या 643/2001, एफपीएस कोड 3865 द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्याओं 2, 5,7,8,10,11,14,17–सी एवं 18 का उल्लंघन किया जाकर अनियमिताएं की गयी हैं। इस हेतु अपीलार्थी के प्राधिकार संख्या 643/2001 का निलम्बन करने की आज्ञा पारित की हैं, जो नियमानुसार सही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिस अनुसार पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 12.04.2022 को आरोप तैयार कर, उसी दिन दिनांक 12.04.2022 को डीलर को निलम्बित किये जाने के आदेश पारित किये हैं। जिसमें डीलर को सुनवायी का अवसर दिये जाने संबंधी कोई उल्लेख नही किया हैं। निलम्बन पश्चात् डीलर का जवाब पेश होने के उपरांत आदेशिका दिनांक 21.04.2022 अनुसार जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी से सीडिंग कब

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की गयी? सीडिंग कार्य किसके द्वारा किया गया? सीडिंग के बाद कब कब कितना गेहूं लिया गया? इस बाबत् तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया, किन्तु पत्रावली पर इस बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं पायी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त राज. फूड ग्रेन्स एण्ड अदर ऐसेशियल आर्टीकल आदेश 1976 अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस आदेश के तहत रद्ध करने का कोई आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण धारक को प्रस्तावित निरस्तीकरण के खिलाफ अपना मामला बताने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो, और इन मामलों में ऐसे आदेश 90 दिनों से अधिक के लिए मान्य नही होगें।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश संख्या रसद/अभियोजन /2022/254 दिनांक 12.04.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण में बिन्दु वाईज परीक्षण किया जाकर डीलर की पूर्ण सुनवायी की जाकर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 आंशिक स्वीकार की जाती हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश संख्या रसद/अभियोजन /2022/254 दिनांक 12.04.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण में बिन्दु वाईज परीक्षण किया जाकर डीलर की पूर्ण सुनवायी की जाकर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा